10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(109)

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R 1935-III/14

1— सुरेश तनय श्री ग्याप्रसाद दांगी
2— हरी प्रकाश तनय श्री ग्याप्रसाद दांगी
निवासीगण—दंगयाना मुहल्ला, वार्ड कमाक 7 निवाडी तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0

.......आवेदकगण

श्री एस० के० खरे, अभि० द्वारा आज दि. 30.6.14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1— भरत सिंह तनय श्री ओमप्रकाश दांगी
निवासी— दंगयाना मुहल्ला, वार्ड कमाक 7 निवाडी,जिला—टीकमगढ,म0प्र0

........अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 24/06/14 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय, निवाडी, जिला—टीकमगढ जो प्रकरण कमांक 09/अ/12/2013—14 में पारित कर अनावेदक द्वारा चाहा गया सीमांकन स्वीकृत किया है।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:—

संक्षिप्त तथ्य

1— यह कि, आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा कमांक नं.— 2020/1/10/ख/1, रकवा 0.141, एवं खसरा कमांक नं.— 2020/1/11/1, रकवा 0.165 है0 स्थित मौजा निवाडी खास, तहसील निवाडी जिला टीकमगढ है । जिस पर आवेदकगण का पैत्रिक समय से बिना किसी रोकटोक के कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में भी वास्तविक कब्जा है।

2— यह कि,उपरोक्त भूमि पर तरमीम हेतु प्रकरण न्यायालय तहसीलदार निवाडी के समक्ष प्रकरण कमांक /ए—3/2013—2014 लम्बित होकर **तरमीम प्रस्ताव** आहूत किया है। उक्त प्रकरण का अभी निराकरण नही हुआ है।आवेदकगण उपरोक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से कृषि कार्य कर रहे है।

3—यहकि ,खसरा कमांक 572/14 स्थित मौजा निवाडी खास, तहसील निवाडी जिला टीकमगढ को अनावेदक का होना कहा जाता है।जिसके सीमांकन हेतु अनावेदक द्वारा आवेदनपत्र दिया है।जिसके सीमांकन हेतु आवेदकगण को **सूचना** पत्र दिनांक 14/6/2014 को सीमांकन हेतु जाने का प्राप्त हुआ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1935-तीन/2014 जिला टीकमगढ सुरेश विरूद्ध भरतसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.खरे उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार निवाडी के प्रकरण क्रमांक 09/अ/12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-06-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	
31.12.18		

सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य